न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

करण सं. –51/2023

1. बापूलाल जाट पिता हजारीलाल जाट, उम्र 25 वर्ष, पेशा ड्राईवरी, निवासी बहेलिया, प0ह0 बहेलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................प्रार्थी

बनाम

1. जमना लाल पिता हजारीलाल जाट, उम्र 63 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी बहेलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कंवरलाल जाट पिता हजारी लाल जाट, उम्र 60 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी बहेलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. लालचन्द पिता हजारी लाल जाट, उम्र 57 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी बहेलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. श्रीमती सुगना बाई पिता हजारी लाल जाट, उम्र 55 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी बहेलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. हीरा लाल पिता हजारी लाल जाट, उम्र 49 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी बहेलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. सूरजमल पिता हजारी लाल जाट, उम्र 46 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी बहेलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. श्रीमति सुडी बाई पत्नी हजारी लाल जाट, उम्र 79 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी बहेलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

.................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,183राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री बाबूराम देराश्री।
अप्रार्थी संख्या 01 से 07ः– श्री भूपेन्द्र कुमार पुरोहित।

निर्णय दिनांक – 25.09.2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बहेलिया प0ह0 बहेलिया तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 तक की शामलाती होकर स्वामित्व एवं खातेदारी रिकॉर्ड की कृषि भूमियाँ हैं जो कृषि भूमियाँ आराजी चा0न0 185 से सिंचित होती चली आ रही है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 की खाता [illegible] पर दर्ज रिकॉर्ड होकर कृषि भूमियाँ खसरा संख्या 155, रकबा 1.0600, लगान 1.05 [illegible] 156, रकबा 2.3500, लगान 14.10, खसरा संख्या 173, रकबा 0.8200 [illegible] संख्या 184, रकबा 0.6800, लगान 7.48 कुल किता 04 कुल [illegible] लगान 30.5500 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित कृषि भूमियाँ चाह संख्या 185 से सिंचित [illegible] है जो कि यह कुंआ प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के पूर्वजों द्वारा खुदवाया गया है जिसमें स्व0 हजारी लाल जाट के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थी का भी हक व हिस्सा कानूनन समान रूप से निहित है जिसका चाह नम्बर 185 में हक व हिस्सा समान रूप से दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों का हजारी लाल जी के स्वर्गवास होने के पश्चात प्रतिप्रार्थीगण ने हजारी लाल जी का मृत्यु प्रमाणपत्र भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagor
Date: 2024.10.21 13:45:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

नवा लिया किन्तु जानबूझकर प्रतिप्रार्थीगण ने उक्त वर्णित जैर बहस का नामान्तरण नहीं खुलवाया है तथा वर्तमान में उक्त कृषि भूमियाँ स्व0 हजारी लाल जी के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। प्रार्थी ने कई मर्तबा प्रतिप्रार्थीगण से उक्त कृषि भूमियों का इंतकाल खुलवाने के लिए कहा तो वह हमेशा ही कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे तथा अन्त में इंतकाल खुलवाने से मनाकर दिया तथा प्रार्थी ने उक्त वर्णित कृषि भूमियों का इंतकाल खुलवाने बाबत् स्वर्गीय हजारी लाल जी के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी मांगी तो प्रतिप्रार्थीगण ने देने से मना कर दिया इस कारण उक्त कृषि भूमियों का इंतकाल मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में खुल नहीं पाया जबकि स्व0 हजारी लाल जी ने नाम खातेदारी अन्य कृषि भूमियों का नामान्तरणकरण प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी के नाम फैसल हो चुका है प्रतिप्रार्थीगण बदयान्तिवर्ष जानबूझकर उक्त वर्णित कृषि भूमियो एवं चाह संख्या 185 का इंतकाल नहीं खुलवा रहे हैं जिससे खोले जाने का आदेश प्रतिप्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित है।

अंत में वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बापूलाल के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री व आदेश पारित किया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में अंकित कृषि भूमियाँ जो कि स्वर्गीय हजारी लाल जी जाट के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड आ रही है जिनका स्वर्गवास हो जाने से उक्त कृषि भूमियों का नामान्तरकरण प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के नाम नियमानुसार बराबर–बराबर हक व हिस्से अनुसार खोले जाने का आदेश प्रदान कर राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। उक्त वर्णित कृषि भूमियों का बंटवारा अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के बीच किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इसका इन्द्राज किया जाने एवं लगान अलग से कायम किया जाकर जमा करने के आदेश एवं डिक्री पारित की जावें। उक्त वर्णित कृषि भूमियों का बंटवारा किया जाने के पश्चात प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के बीच उनके हक में आए हिस्से अनुसार कृषि भूमियों की घोषणा भी किये जाने का आदेश एवं डिक्री प्रदान की जावे ताकि प्रार्थी के हिस्से में आई कृषि भूमियों की घोषणा अलग से की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग से दर्ज किये जाने के आदेश एवं डिक्री प्रदान किया जावें। उक्त चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों का नामान्तरकरण नहीं खोले जाने तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमियों का बंटवारा नहीं होने से प्रतिप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 07 द्वारा प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमियों पर जबरन अवैध रूप से नाजायज कब्जा कर काश्तकारी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तथा प्रार्थी को उसके हक व हिस्से की कृषि भूमि पर हकाई–जुताई बुआई आदि कृषि कार्य नहीं करने दे रहे है एवं जबरन उसे कृषि कार्य करने से रोक रहे है तथा मना कर रहे है तथा आराजी चा0 न0 185 से कृषि भूमियों को सिंचित भी नहीं करने दे रहे है जबकि चा0ह0 नम्बर 185 में प्रार्थी का भी बराबर हक व हिस्सा कायम है इस कारण प्रतिप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रतिप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 प्रार्थी के हक व हिस्से की पुश्तैनी कृषि भूमियों पर नाजायज अतिक्रमण कर हकाई–जुताई व बुआई आदि कृषि करने का कार्य न [illegible] से करवायें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाने के आदेश [illegible] जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagori
Date: 2024.10.21 13:45:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब कि[illegible]से 07 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार पुरोहित ने पैरवी हेतु वकालतनामा प्र[illegible] किया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने प्रकरण में दिनांक 17.10.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त वाद में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2076–77 की खाता संख्या 61 की खसरा संख्या 155, 156, 173, 184 कुल किता 04 काश्तकार का नाम काना पुत्र नन्दा हिस्सा 1/2 जाति जाट हजारी पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

नन्दा हिस्सा 1/2 जाति जाट दर्ज रिकार्ड है, परन्तु हजारी की मृत्यु के बाद नामान्तरण खोले जाने से पूर्व, विधिक हिस्सेदार का जमाबंदी में नाम दर्ज रिकार्ड से पूर्व वाद प्रस्तुत हुआ जो विधि द्वारा वर्जित है। उपरोक्त जमाबंदी अनुसार सहखातेदार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए भी वाद विधि द्वारा वर्जित है। वाद में हजारी जी का पारिवारिक सजरा पेश नही है ना ही कोई ऐसा दस्तावेज उत्तराधिकार प्रमाण पत्र , वारिस प्रमाण पत्र पेश हुआ जिससे मृतक के वारिस का तथा हकदार का स्पष्टीकरण हो सके, जोकि विधि द्वारा वर्जित है।उक्त वाद पत्र में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हो रहा है वाद कि कॉलम संख्या 6 में कथन किये गये है कि दिनांक 16.06.2023 को प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य से रोका गया, किस गवाह के सामने रोका, कितनी बजे रोका कोई कथन नही झूठे तथ्य/कथन अंकित किए है। उक्त वाद पत्र घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली का प्रस्तुत हुआ है वाद का मुल्यांकन का स्पष्टीकरण नहीं है,उचित कोर्ट फीस पर पेश नही है। अंत में प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित, कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने व वाद का मुल्यांकन सही नही होने से मय हर्जे खर्चे के खारिज करने का निवेदन किया गया।

वकील वादीगण/विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब में अंकित किया कि जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में देरी करने के उद्देश्य से पेश किया है जो इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है वादी ने यह वाद पत्र उसके पिता स्व0 हजारी लाल जी जाट की कृषि भूमियों को लेकर किया है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सभी स्व0 हजारी लाल जी की कृषि भूमियों के वारिसान है तथा प्रतिवादीगण जानबुझकर उक्त कृषि भूमियों का बंटवारा नही करवा रहे है तथा स्व0 हजारी लाल जी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रतिवादीगण के कब्जे में है जो जानबुझकर पेश नही कर रहे है तथा बंटवारा नही करवा रहे है तथा वादी को अपने हिस्से की कृषियों पर काश्त करने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित नही है। विवाद मुख्य रूप से स्व0 हजारी पुत्र नन्दा की कृषि भूमियों को लेकर ही है अन्य खातेदार कान्हा पुत्र नन्दा जो स्व0 हजारी का भाई है दोनो के बीच कई वर्षो पुर्व कृषि भूमियों का बंटवारा हो चुका है तथा दोनो अपने अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त कार्य करते चले आ रहे है।सह खातेदार की कृषि भूमियों को लेकर कोई विवाद नही है मौके पर बंटवारा होकर उसकी कृषि भूमिया अलग है इस कारण सह खातेदार को वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही होने से उसे पक्षकार नही बनाया गया है। वाद पत्र में जवाब दावा पेश नही हुआ है इस कारण यह नही माना जा सकता कि वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। अंत में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से पेश किया है जो विधिविरूद्ध होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाय जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम बहेलिया की विवादित आराजीयात हजारी लाल की मृत्यु के बाद नामान्तरण खोले जाने से पूर्व, विधिक हिस्सेदार का जमाबंदी में नाम दर्ज रिकार्ड से पूर्व वाद प्रस्तुत हुआ तथा सभी सहखातेदारान को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए भी वाद विधि द्वारा वर्जित है। वाद में हजारी जी का पारिवारिक सजरा पेश नही है ना ही कोई ऐसा दस्तावेज उत्तराधिकार प्रमाण पत्र , वारिस प्रमाण पत्र पेश हुआ जिससे मृतक के वारिस का तथा हकदार का स्पष्टीकरण हो सके, जोकि विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार वादीगणों ने दावे में गलत तथ्य अंकित किये है जिससे दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील विपक्षी/वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.21 13:45:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में देरी करने के उद्देश्य से पेश किया है जो इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है वादी ने यह वाद पत्र उसके पिता स्व0 हजारी लाल जी जाट की कृषि भूमियों को लेकर किया है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सभी स्व0 हजारी लाल जी की कृषि भूमियों के वारिसान है तथा प्रतिवादीगण जानबुझकर उक्त कृषि भूमियों का बंटवारा नही करवा रहे है प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दुर्भावना से तथा प्रकरण मे देरी करने क उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो गलत तथ्यों पर आधारित होने से चलने योग्य नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण ग्राम बहेलिया प0ह0 बहेलिया की विवादित आराजीयात खसरा संख्या 155, रकबा 1.0600, लगान 1.05, खसरा संख्या 156, रकबा 2.3500, खसरा संख्या 173, रकबा 0.8200, खसरा संख्या 184, रकबा 0.6800 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 4.9100 है0 के संबंध में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 183 के तहत वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि वादी स्व0 हजारीलाल जी का जायन्दा पुत्र है किन्तु यह दस्तावेजी सबूत के अभाव में साबित नही होता है एवं जमाबंदी अनुसार सभी सहखातेदारान को आवश्यक पक्षकार भी नही बनाया है तथा वर्तमान जमाबंदी में हजारी का नामान्तरण भी नही खुला है जिससे नामान्तरण पुर्व बंटवाडा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जो विधिवर्जित होकर प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचनों के अनुकम में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया गया है।

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत ग्राम बहेलिया पटवार हल्का बहेलिया की खाता संख्या 61 पर अंकित साबिक आराजी संख्या 155, 156, 173, 184, किता 4 रकबा 4.91है0 के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 25.09.2024 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायककलेक्टर एवं
उपखण्डअधिकारी, रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.21 13:45:45 IST
Reason: SelfAttested